26/8/22 प्रार्थी/प्रार्थिनी बतौर अंतरिम राहत अन्तर्गत धारा 127 स्वीकार किया जाता है कि वह निर्वाह हेतु तलाक मुकदमा जारी पर्यन्त प्रार्थना किया जाता है [illegible] कुमार पुत्र [illegible] को [illegible] देय होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:59:03 IST
Reason: SelfAttested

26/8/22